उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार की यह कोशिश होती है कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को साठ दिन के भीतर निपटा दिया जाए ।

(ख) और (ग) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त करना और इन्हें निपटाना एक सतत प्रक्रिया है ।

नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के समय से प्राप्ति और निपटान की स्थिति नीचे दी गई है :

	अगस्त, 91—जुलाई, 93
कुल प्राप्त आवेदन	1302
जुलाई, 93 में प्राप्त आवेदन (निपटान का समय नहीं हुआ)	59
जारी किए गए आशय-पत्र	646
अस्वीकृत—लाइसेंस जरूरी नहीं/आवेदन वापस ले लिए	315
शेष	282

लगभग 40% आशय-पत्र आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर जारी कर दिए गए थे और 57% आशय-पत्र पचहत्तर दिन के भीतर जारी कर दिए गए थे । अस्वीकृत मामलों में प्रायः अधिक समय लग जाता है ।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को समय पर निपटाने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं । किन्तु, देरी हो जाती है यदि आवेदन अपूर्ण है, यदि विनिर्माण की मद के लिए क्षेत्र संबंधी नीति का निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाना है अथवा यदि इस मामले में प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणी उपलब्ध नहीं है ।

औद्योगिक विकास दर

3238. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वित्त-वर्ष 1992-93 के दौरान औद्योगिक विकास की दर 1·3 प्रतिशत रहने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1993-94 की प्रथम तिमाही में भी औद्योगिक विकास की दर में लक्ष्य के अनुसार उत्पादन होने की संभावना नहीं है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमान क्या है, और

(ङ) वांछित विकास दर प्राप्त न होने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 1992-93 के दौरान 1.5% वृद्धि देखी गई है ।

(ग) से (ङ) उद्योग मंत्रालय समग्र औद्योगिक उत्पादन के लिए कोई वार्षिक अथवा तिमाही लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है ।

BHEL Officers joining Crompton Greaves

3239. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the senior officers in the rank of D.G.Ms. and above who resigned or retired from BHEL and joined Crompton Greaves and GEC in the last five years indicating their age, designation/function while in BHEL when they left ;

(b) whether the children of these officers are handling similar products in technical/commercial fields as their parents left BHEL in the above two companies ;

(c) if so, the names of the officers and the period since when they have been posted ; and

(d) whether Government have received complaints that officers mentioned in part (b) have bestowed techno commercial favours to these companies and if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (d) BHEL does not maintain any record about the activities of its former employees.